न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/31/2025	2025/27	08.01.2025	24.12.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. पप्पू पुत्र लालमन,
2. मनोहर पुत्र बाबूलाल,
3. मोती पुत्र लालमन,
4. लक्ष्मी पत्नी स्व. बाबूलाल,
5. शिवदयाल पुत्र बाबूलाल,

समस्त जातियान कोली, निवासी बहादरपुर पट्टी जोडिया, तहसील व जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः—

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील प्रार्थी

02—श्री नरेश चौधरी, हरिप्रकाश वर्मा —अप्रार्थी अधिवक्ता

—:निर्णयः—

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) भूमि आवंटन नियम, 1970 जिसके द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम बहादरपुर पट्टी जोडियां, तहसील व जिला अलवर की आराजी खसरा नं. 421 रकबा 0.25 हैक्टेयर, ख.नं. 488 रकबा 0.20 हैक्टेयर, ख.नं. 489 रकबा 0.13 हैक्टेयर भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता दौराने बहस अनुपस्थित।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा नं. 421 रकबा 0.25 हैक्टेयर, ख.नं. 488 रकबा 0.20 हैक्टेयर, ख.नं. 489 रकबा 0.13 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम बहादरपुर पट्टी जोडिया, तहसील व जिला अलवर सन् 1970 के बाद अप्रार्थीगण को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय कब्जा रहा है। जिस बाबत पटवारी हल्का बहादरपुर पट्टी जोडिया की रिपोर्ट दिनांक 20.11.2024 से स्पष्ट रूप से जाहिर व साबित है कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा ना ही मौके पर फसल पाई गई। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम मे नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थीगण द्वारा राज0 कृषि भूमि आवंटन नियम 1970, नियम 14 (4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है।

प्रार्थना पत्र न्यायलय श्रीमान के सुनने योग्य है। अतः श्रीमान की सेवा में यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है की आवंटन सन् 1970 के बाद जो आवंटन अप्रार्थीगण को आराजी खसरा नं. 421 रकबा 0.25 हैक्टेयर, ख.नं. 488 रकबा 0.20 हैक्टेयर, ख.नं. 489 रकबा 0.13 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम बहादरपुर पट्टी जोडिया का किया गया था, उसे निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता दौराने बहस अनुपस्थित। प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक की बहास सुनी। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण को कृषि कार्य हेतु किया गया था। पटवारी हल्का बहादरपुर पट्टी जोडिया की रिपोर्ट दिनांक 20.11.2024 के अनुसार आराजी खसरा नं. 421 रकबा 0.25 हैक्टेयर, ख.नं. 488 रकबा 0.20 हैक्टेयर, ख.नं. 489 रकबा 0.13 हैक्टेयर भूमि मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड में पप्पू, मोती पिता लालमन, लक्ष्मी पत्नी बाबूलाल, मनोहर, शिवदयाल पिता

अतिरिक्त जि. कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

बाबूलाल जाति कोली सा0 देह गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर गैर खातेदारान का कब्जा काश्त नहीं है। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि उक्त खसरा नंबर पर रिकॉर्ड में दर्ज गैर खातेदार का कभी भी कब्जा नहीं रहा।

मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट आवंटन की मूल शर्त "स्वयं काश्त" की पालना नहीं की जा रही है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी खसरा नं. 421 रकबा 0.25 हैक्टेयर, ख.नं. 488 रकबा 0.20 हैक्टेयर, ख.नं. 489 रकबा 0.13 हैक्टेयर भूमि ग्राम बहादरपुर पट्टी जोडिया मौके पर गैर खातेदार आवंटी का कब्जा नहीं है एवं किसी अन्य ग्रामवासियों का कब्जा है। उक्त खसरे पर पर गैर–खातेदार का कब्जा नहीं है। राजस्थान भू–राजस्व (भूमि आवंटन) नियम, 1970 का मुख्य उद्देश्य भूमिहीन कृषकों को जीवनयापन हेतु भूमि देना है, बशर्ते वे उस पर स्वयं काश्त करें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अप्रार्थीगण ने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया है। वे विवादित भूमि पर न तो स्वयं काश्त कर रहे हैं और न ही उनका मौके पर कब्जा पाया गया है। भूमि का उपयोग उस उद्देश्य (कृषि) के लिए नहीं किया जा रहा है जिसके लिए राज्य सरकार ने इसे आवंटित किया था। अतः प्रार्थी (तहसीलदार) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी, तहसीलदार अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है और ग्राम बाहदरपुर पट्टी जोडिया, तहसील व जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नं. 421 रकबा 0.25 हैक्टेयर, ख.नं. 488 रकबा 0.20 हैक्टेयर, ख.नं. 489 रकबा 0.13 हैक्टेयर भूमि का आवंटन, जो अप्रार्थीगण/आवंटी (पप्पू, मोती पिता लालमन, लक्ष्मी पत्नी बाबूलाल, मनोहर, शिवदयाल पिता बाबूलाल जाति कोली) के पक्ष में किया गया था, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उक्त भूमि को अप्रार्थीगण के नाम से खारिज कर पुनः सिवायचक (राजकीय) भूमि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)